

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : के०सी० जैन
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक—२४१५—दो / २०१४ विरुद्ध आदेश दिनांक ११—१२—२०१३ पारित
द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल एवं तहसील जैसिंहनगर जिला शहडोल म० प्र० प्रकरण
क्रमांक—७ / अ—१२ / २०१२—१३.

- 1— सम्पत रजक पिता शिवलाली रजक
- 2—हेमराज रजक पिता शिवलाली रजक
- 3—मालिक बैगा पिता खज्जू बैगा
- 4—पुरुषोत्तम बैगा पिता खज्जू बैगा
- 5— रामकुमार बैगा पिता स्व० श्री दन्नी बैगा
- 6— सम्पत बैगा पिता श्री रुल्ला बैगा
- 7— बुल्लू बैगा पिता श्री रुल्लस बैगा
- 8— होरिल रजक पिता श्री परानू रजक
- 9— खेल्ली बाई पति संपत रजक
- 10— आशाबाई तिवारी पति श्री जागेश्वर प्रसाद तिवारी
- 11— रामभिलन बैगा पिता श्री खज्जू बैगा
- 12—रामरती रजक पति हेमराज रजक
- 13—हेतराम पिता चिड्डू रजक

सभी निवासी ग्राम मोहनी तहसील जैसिंहनगर

जिला शहडोल म०प्र०

—आवेदकगण

बनाम

- 1—लक्ष्मी निवास पयासी पिता श्री रामसजीवन ब्राह्मण
निवासी ग्राम मोहनी तहसील जैसिंहनगर
जिला शहडोल म०प्र०

2—म० प्र० शासन

—अनावेदकगण

श्री मुद्रिका विश्वकर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री सौरभ द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक—१
अना०—२ शासन की ओर से कोई उपस्थित नहीं

✓

// 2 // निगरानी प्र० क०-2415-दो/2014

॥ आ दे श ॥

(आज दिनांक 29-6-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल एवं तहसील जैसिंहनगर जिला शहडोल म० प्र० प्रकरण क्रमांक-3/अ-12/2012-13. में पारित आदेश दिनांक 11.12.13 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मोहनी पटवारी हल्का मोहनी नम्बर 49 राजस्व निरीक्षक मण्डल जैसिंहनगर तहसील जैसिंहनगर जिला शहडोल स्थिति आराजी खसरा न० 425/1 रकवा 0.385 है० खसरा नम्बर 425/2 रकवा 0.077 है० 425/3 रकवा 0.077 है० 425/4 रकवा 0.077 है० 425/6 रकवा 0.077 है० 427/7 रकवा 1.619 है० आराजी के सीमांकन हेतु अनावेदक कमांक-1 के द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल जैसिंहनगर तहसील जैसिंहनगर जिला शहडोल के समक्ष अन्तर्गत धारा 129 म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया। जिसे राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 11.12.13 को सीमांकन किया गया तथा उसी दौरान आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई उसमें उल्लेख किया गया कि सरहदी कृषक को सुने बिना सीमांकन किया गया है जिसे निरस्त किया जावे। राजस्व निरीक्षक द्वारा उपरोक्त आपत्ति निरस्त कर दी गई, और पंचनामा, सूचनापत्र, एवं प्रतिवेदन तथा नक्शा आदि दस्तावेज संलग्न कर आदेश पारित किया और आदेश में उल्लेख किया गया कि नक्शा आदेश अंग भाना जावेगा। इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3- आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्व निरीक्षक से जब भी सीमांकन की जानकारी लेते तो वह यही बता देते थे कि आदेश करूँगा। लेकिन उनके द्वारा पीठ पीछे सीमांकन किया गया है जो हितबद्ध पक्षकारों को सूचना एवं सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना

✓

15

सीमांकन किया गया है वह निरस्त किया जावे। उनके द्वारा यह भी अपने तर्क में बताया गया है कि भूमि का नक्शा तरमीम नहीं है और नक्शा तरमीम के बिना किसी भी बटा नम्बर का सीमांकन नहीं किया जा सकता है। सीमांकन के समय मौके से बन्दोस्ती सीमा चिन्ह की पहचान कर उसे आधार मानकर उसे विधिवत् फ़ील्ड बुक तैयार करते हुये सीमांकन कार्यवाही सीमावर्ती भूमि स्थामियों की उपस्थिति में करना चाहिये था किन्तु अधीनस्थ कार्यालय ने बिना फ़ील्ड बुक बनाये ही सीमांकन किया गया जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

4— अनावेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक संपत्ति आदि सीमांकन के समय उपस्थित थे लेकिन पंचनामा पर हस्ताक्षर करने को कहा तो वह वहां से चले गये इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उनके अनुपस्थिति में सीमांकन किया गया है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रस्तुत आवेदकगण के द्वारा निगरानी निरस्त की जावे।

5— उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि आवेदकगण सीमांकन के समय उपस्थित थे लेकिन जब पंचनामा बनाया गया तो वह वहां से चले गये तथा अनुपस्थित रहे।

6— मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्कों पर विचारोपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि राजस्व निरीक्षक ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा जो आपत्ति प्रस्तुत की गई थी वह तथ्यहीन होने से निरस्त की गई है तथा सीमांकन के समय वह उपस्थित हुये थे लेकिन जब पंचनामा बनाया गया तो वह उपस्थित नहीं हुये। राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया है कि सीमांकन कार्य विधिवत् सूचना देकर स्वयं मेरे द्वारा किया गया है। उनके द्वारा यह भी लेख किया गया है कि अनावेदक अपने स्वत्व की भूमि पर कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही भी कर सकता है। मैं राजस्व निरीक्षक के आदेश से सहमत हूँ और उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है। राजस्व निरीक्षक का आदेश दिनांक 11.12.13 रिठर रखा जाता है।


(के०सी० जैन)

सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
गwaliyar